संख्या-19/2020/868/33-3-2020-100(16)/ 2015 टी.सी.

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/390/2020-5/118/2018-एस.बी.एम.(जी) दिनांक 25 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से समायोजन किए जाने के पश्चात केन्द्रांश की धनराशि रू. 31036.21 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू. 20690.81 लाख धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यांश की धनराशि रू. 20690.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई जाए।

(4) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमती नगर लखनऊ में एस.एस.बी.एम एक्सट्रा बजटरी रिसोर्स (ई.बी.आर.) के खाता संख्या- 521302010064413 में अवमुक्त किया जाना है।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु- 13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अंन्दर स्थानान्तरित करते हुए संबंधित खाते से 15 दिन के अंदर संबंधित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त संबंधित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(6) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से समायोजन किए जाने के पश्चात केन्द्रांश की धनराशि रू. 31036.21 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू. 20690.81 लाख (रू. दो सौ छ करोड़ नब्बे लाख इक्यासी हजार मात्र) को लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या- एस. 12011/3/2015- एस.बी.एम.(पार्ट-2) दिनांक 09.03.2020 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन अनुदान/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी अनुदान/मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(13) भारत सरकार के पत्र संख्या- एस. 12011/3/2015- एस.बी.एम.(पार्ट-2) दिनांक 09.03.2020 द्वारा ई.बी.आर. हेतु कुल धनराशि रू. 105050.00 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष राज्यांश निर्गत किया जा रहा है तथा पूर्व में निर्गत केन्द्रांश का समायोजन भी किया जा रहा है।

2- प्रश्नगत व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का संज्ञान लेते हु ए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-2-338 /x-20 दिनांक 30.03.2020 मे प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-5/390/2020-5/118/2018-एस.बी.एम.(जी) दिनांक 25 मार्च, 2020 के क्रम में।
4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।